



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 23.02.21

## **अवैध नशीले पाउडर एल्प्राजोलम के साथ 01 तस्कर गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं **वांछित अपराधियों** व तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक **थाना लिंकरोड** के नेतृत्व में दिनांक 22.02.2021 को समय 22.40 बजे थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा रेलवे फाटक के पास चौकी क्षेत्र ब्रजविहार से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 42 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम बरामद होना ।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. मोहित उर्फ काला पुत्र लीलू निवासी कडकड माडल थाना लिंकरोड गा0बाद

### **बरामदगी का विवरण -**

1. 42 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम ।

### **आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 49/2021 धारा 8/21 NDPS.ACT
2. मु0अ0सं0 12/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0 145/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
4. मु0अ0सं0 359/2017 धारा 401 भादवि
5. मु0अ0सं0 360/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
6. मु0अ0सं0 368/2018 धारा 380 भादवि
7. मु0अ0सं0 370/2018 धारा 411/414 भादवि

## **गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद**

**कार्यवाही-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कलानिधि नेथानी के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में **थाना इंदिरापुरम पुलिस** द्वारा दि0-22/02/2021 को मण्डीकट प्रहलादगढ़ी अन्तर्गत चौकी क्षेत्र प्रहलादगढ़ी से मु0अ0सं0 1872/20 गैंग0अधि0 थाना इंदिरापुरम गा0बाद में वांछित अभियुक्त बिलाल पुत्र महमूद नि0 गॉव साहिबाबाद शमशान वाली गली म0नं0-300

साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया व कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद किये गये।

### बरामदगी का विवरण-

1-01 अदद तमंचा .315 बोर

2- 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :

1 -बिलाल पुत्र महमूद नि0 गाँव साहिबाबाद शमशान वाली गली म0नं0-300 साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 1872/20 गैंग0अधि0 थाना इंदिरापुरम गा0बाद ।

2-मु0अ0स0 253/2021धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

3-मु0अ0स0 643/2020धारा 392/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

4- मु0अ0स0 772/2020धारा 392/411/504 भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद



### थाना मसूरी पुलिस द्वारा एक वांछित/ गौतस्कर अभियुक्त मय एक अदद नाजायज छुरी व एक किलो 100 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार

**कार्यवाही** -श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी द्वारा अपराधो की रोकथाम व तलाश वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 22.02.21 को प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह थाना मसूरी

गा0बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर श्री रविन्द्र कुमार बालियान द्वारा मय हमराही के में गस्त व तलाश वांछित अपराधी के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमें मे वांछित अभियुक्त राशिद उर्फ भोला पुत्र साबु निवासी डासना थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को कल्लु फाटक से करीब 400 मी0 सिखरोडा फाटक की ओर समय करीब 23.50 बजे एक किलो 100 ग्राम गांजा व एक अदद नाजायज छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी व घूमन्तु पशुओ की रैकी कर रात मे गौकशी की घटना को अंजाम देते है और उसके माँस को अलग अलग जगह ले जाकर बेच देते है इसके अतिरिक्त गांजा बेचकर अपना शोक पूरा करते है। अभि0 व उसके साथियो ने दिनांक 11/12.02.2021 की रात्रि मे भी उधोग कुन्ज थाना मसूरी अवंतिका, गोविन्दपुरम थाना कविनगर गा0बाद मे गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना मसूरी मे मु0अ0सं0 64/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 पंजीकृत है। अभियुक्त से पूछताछ कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

(1) राशिद उर्फ भोला पुत्र साबु निवासी डासना थाना मसूरी गाजियाबाद।

### **बरामदगी का विवरण:-**

(1) एक किलो 100 ग्राम गांजा व एक अदद नाजायज छुरी।

### **पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 64/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 88/2021 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 89/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त राशिद उर्फ भोला -**

1. मु0अ0सं0 487/16 धारा 398 /401 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 490/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 523/20 धारा 8/22 एन डी पी एस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 64/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मसूरी गाजियाबाद .
5. मु0अ0सं0 88/2021 धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट थाना मसूरी गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 89/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना मसूरी गा0बाद
7. मु0अ0सं0 192/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना कविनगर गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0 194/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना कविनगर गाजियाबाद

## **थाना भोजपुर पुलिस द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय गाजियाबाद के कुशल निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 23.02.2021 को समय करीब 11.20 बजे एक नफर अभियुक्त रोहित पुत्र रघुवर सिंह निवासी ग्राम ईसापुर थाना भोजपुर गा.बाद सम्बन्धित मु.अ.स. 99/20 धारा 452,354,376,506 भादवि. को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1.रोहित पुत्र रघुवर सिंह निवासी ग्राम ईसापुर थाना भोजपुर गाजियाबाद



### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1.मु.अ.स. 99/20 धारा 452,354,376,506 भादवि थाना भोजपुर गा.बाद

## थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर प्रभारी निरीक्षक श्री महावीर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 15/02/2021 को थाना विजय नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 156/2021 धारा 363 IPC की घटना का अनावरण करते हुए दिनांक 23/02/2021 को समय करीब 08.10AM पर घटना को कारित करने वाले अभियुक्त प्रमोद कुमार को विजयनगर तिराहा थाना विजयनगर से गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

### \*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त\*

1- प्रमोद कुमार पुत्र महेश कुमार नि0 मैथरा आलपुर थाना बहजोई जनपद सम्भल हाल सैन विहार शान्ति नगर , थाना विजयनगर गाजियाबाद ।

### \*पंजीकृत अभियोग का विवरण\*

1- मु.अ.स. 156/2021 धारा 363 भादवि थाना विजय नगर गाजियाबाद



## थाना विजयनगर पुलिस द्वारा एक बलात्कार के आरोपी को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस के द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 21-2-2021 को थाना विजय नगर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 183/21 धारा, 376 IPC की घटना का अनावरण करते हुए दिनांक 22/02/2021 को समय करीब 22:40 बजे पर घटना को कारित करने वाले अभियुक्त विमल कुमार को विजयनगर तिराहा थाना विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

### \*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त\*

1- विमल कुमार पुत्र अमर सिंह नि0 डी 346 मुल्तानी पुरा पड़ाव मोदीनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद

### \*पंजीकृत अभियोग का विवरण\*

1- मु.अ.स. 183/2021 धारा 376, IPC थाना विजय नगर गाजियाबाद



## थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 40 पब्बे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 22.02.2021 को समय 21.50 बजे गणेश पुरी की पुलिया के पास शहीद नगर में अभियुक्त बाबू उर्फ रिजवान पुत्र कल्लू नि0-डी-ब्लाक गली न0-5 म0न0-381 सहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को मय 40 पब्बे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया है।



### अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरे पास से जो शराब बरामद हुई है उसे मैं अलग अलग जगहों पर खड़ा होकर शराब के नशे के आदि व्यक्तियों को बेचता हूँ। एवं अपना गुजारा करता हूँ। अभियुक्त से अवैध शराब रखने के लाईसेंस के बारे में पूछा तो नहीं है जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 286/21 धारा 60/63 आबकारी अधि बनाम बाबू उर्फ रिजवान उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1 बाबू उर्फ रिजवान पुत्र कल्लू नि0-डी-ब्लाक गली न0-5 म0न0-381 सहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

### पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

01. मु0अ0स0 286/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 बनाम बाबू उर्फ रिजवान उपरोक्त।

### बरामदगी का विवरण:-

01. अभियुक्त बाबू उर्फ रिजवान उपरोक्त के कब्जे से 40 पब्बे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

## थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार जिनके कब्जे से अवैध 440 एलप्राजोलम नशीली गोलियां एवं 03 अदद नाजायज चाकू बरामद।

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 23.02.2021 को समय 04.00 बजे मूवी पैलेस के पास जवाहर पार्क से अभिगण 1.सलमान पुत्र सलीम नि0-गली न0-6 एफ ब्लॉक शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद



कल्लू के मकान में किरायेदार उम्र 23 वर्ष को मय 260 अवैध एलप्राजोलम गोलियों , 2.मोइन पुत्र सिराजुद्दीन नि0-कच्ची कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद हाल नि0-जवाहर पार्क गली न0-7 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को मय 180 अवैध एलप्राजोलम गोलियों, 3.बसीम पुत्र हारुन नि0-डी 310 शहीद नगर गली न0-5 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को एक अदद नाजायज चाकू, 4.तसलीम पुत्र शकील नि0-गली न0-5 डी ब्लॉक शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद जाहिदा के मकान में किरायेदार उम्र 25 वर्ष को एक अदद नाजायज चाकू, 5.आमिर पुत्र नासिर नि0-एब्लाक गली न0-6 म0न0-475 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है।

### **अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभिगण उपरोक्त ने पूछताछ में एक स्वर में बताया कि साहब हमारे पास से जो एलप्राजोलम गोलियां बरामद हुआ है, उसे हमने अलग अलग मेडिकल की दुकानों से खरीदा है हम ये गोलियां रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री, बस स्टैंड आदि जगहों पर नशा करने वाले लोगों को बेचकर हम धन अर्जित करते हैं। एवं अपना खर्चा चलाते हैं। तथा चाकू रखने के बारे में पूछा तो बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए हम चाकू रखते हैं तथा अपनी गलती की मांफी मांगने लगे अभिगण से नशीली गोलियां एवं चाकू रखने के लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं है जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 287/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम सलमान उपरोक्त, मु0अ0स0 288/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मोइन उपरोक्त, मु0अ0स0 289/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम बसीम उपरोक्त, मु0अ0स0 290/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम तसलीम उपरोक्त व मु0अ0स0 291/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आमिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

- 1.सलमान पुत्र सलीम नि0-गली न0-6 एफ ब्लॉक शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद कल्लू के मकान में किरायेदार उम्र 23 वर्ष।
2. मोइन पुत्र सिराजुद्दीन नि0-कच्ची कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गाजियाबाद हाल नि0-जवाहर पार्क गली न0-7 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।
3. बसीम पुत्र हारुन नि0-डी 310 शहीद नगर गली न0-5 थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।

4. तसलीम पुत्र शकील नि0-गली न0-5 डी ब्लाक शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद जाहिदा के मकान मे किरायेदार उम्र 25 वर्ष।

5. आमिर पुत्र नासिर नि0-एब्लाक गली न0-6 म0न0-475 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

#### पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

01. मु0अ0स0 287/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम सलमान उपरोक्त
02. मु0अ0स0 288/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मोइन उपरोक्त
03. मु0अ0स0 289/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम बसीम उपरोक्त
04. मु0अ0स0 290/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम तसलीम उपरोक्त
05. मु0अ0स0 291/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आमिर उपरोक्त

#### बरामदगी का विवरण:-

01. अभियुक्त सलमान उपरोक्त के कब्जे से 260 अवैध नशीली एल्प्राजोलम गोलियां
02. अभियुक्त मोइन उपरोक्त के कब्जे से 180 अवैध नशीली एल्प्राजोलम गोलियां
03. अभियुक्त बसीम उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू
04. अभियुक्त तसलीम उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू
05. अभियुक्त आमिर उपरोक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू

#### **थाना लोनी पुलिस द्वारा टिम्बर व्यापारी से 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध असलाह बरामद**

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए टिम्बर व्यापारी से 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले 02 अभियुक्त पवन पुत्र सुखवीर नि0 तहसील के पास खन्नानगर लोनी गा0बाद 2. खुर्शीद पुत्र शौकत अली नि0 उपरोक्त को धन्नूराम कट के पास से दिनांक 23.02.2021 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त पवन उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण** – दिनांक 03.02.2021 को वादी श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री गंगा प्रसाद नि0 मैसर्स लक्ष्मी टिम्बर स्टोर लोनी ने थाना हाजा पर सूचना दी कि मेरे मोबाइल न0 9313222312 पर मो0न0 7379753818 से कॉल कर 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी है, न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा अ0स0 134/21 धारा 386/507 IPC दर्ज किया गया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रंगदारी मांगने वालों की धरपकड़ हेतु 4 टीमों का गठन किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपनी स्पेशल टीम भी लगाई गयी थाना लोनी पुलिस व स्पेशल टीम द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुए सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा करते हुए दिनांक 14.2.21 को फर्जी आईडी पर सिम बेचकर एक्टीवेट करने वाले अभियुक्त 1. दिवाकर 2. अवनीश 3. हारुन नि0 गण लखीमपुर खीरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

तथा मुख्य अभियुक्त पवन व खुर्शीद को संयुक्त टीम द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है। जिनके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया है।

### **पुछताछ का विवरण –**

पुछताछ करने पर अभियुक्त पवन द्वारा बताया गया कि मैं बिनोद गुप्ता की दुकान सामने रहने वाले राजेन्द्र वर्मा के यहा ड्राईवरी का काम करता हूँ, वही से मेरा उठना बैठना बिनोद गुप्ता के यहाँ भी था जिनके बारे मे मुझे पूरी जानकारी थी, कुछ दिन पहले से मेरी नौकरी छूट गयी और मेरे अन्दर कुछ गलत शौक/आदते पड गई थी। जिनकी पूर्ति करने के लिए मैंने अपने साथी खुर्शीद से बात की थी। खुर्शीद उत्तर प्रदेश की पूर्वी जिलो मे जूते व रेडीमेड कपडो की फड लगाता है। मैंने खुर्शीद से एक सिम लाने के लिये कहा था, लेकिन खुर्शीद कहने लगा दोनो साथ चलकर ले आते है, फिर हम दोनो खीरी लखीमपुर जाकर फर्जी आईडी पर उपरोक्त मोबाईल नम्बर का एक सिम खरीदा था उसी सिम से मैंने व मेरे साथी खुर्शीद ने योजना के मुताबिक बिनोद गुप्ता को जान से मारने की धमकी देते हुए 40 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी।

### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास**

पवन पुत्र सुखवीर नि० तहसील के पास खन्नानगर लोनी गा०बाद

1. मु०अ०सं०-216/2021 धारा 25 Arms Act थाना लोनी गा०बाद
2. मु०अ०सं०-134/2021 धारा 386/507 IPC थाना लोनी गा०बाद

खुर्शीद पुत्र शौकत अली नि० तहसील के पास खन्नानगर लोनी गा०बाद

1. मु०अ०सं०-134/2021 धारा 386/507 IPC थाना लोनी गा०बाद

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. एक तमंचा 12 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद



### **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी को मोटर साईकिल तथा कुल 160 गोलियाँ अल्प्राजोलम बरामद**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद मे अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 23-02-2021 को दौराने चैकिंग हिण्डन के अण्डरब्रिज के नीचे से चोरी की मोटर साइकिल व अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में



लिप्त व 01 अभियुक्त जीतू यादव को गिरफ्तार कर एक मोटर साइकिल चोरी की व कब्जे से कुल 160 नशीली गोलिया अल्प्राजोलम नाजायज के बरामद कर गिरफ्तार किया गया है।

#### अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मोटर साइकिल काफी दिन पहले दिल्ली वार्ड के पास से चोरी की थी जिसके द्वारा अवैध नशीली गोलिया अल्प्राजोलम को नशे के आदी लोगो को बेचने में प्रयुक्त करता है।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- जीतू यादव पुत्र विजय सिंह यादव निवासी महिण्डन पुस्ता बालाजी विहार थाना नन्दग्राम 649 0नं0 वर्ष 22 जिला गाजियाबाद उम्र करीब

#### आपराधिक इतिहास अभियुक्त

- 1- मु110 -0अ0सं0/2021 धारा 414 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
- 2- मु0अ0सं0 2021/111 धारा एनडीपीएस एक्ट 22/8 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

#### बरामदगी का विवरण:-

- 1- अभियुक्त के कब्जे से मोटर साइकिल इवानीटर रंग सफेद रजि-न0 0 DL11SG-0127 चैचिस नं 0 MBLJC59ABCGM00097 इंजन नं 0JC59AACGM00200 चोरी बरामद।
- 2- 160 गोलियाँ अल्प्राजोलम बरामद

### थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 30 पब्बे अवैध शराब मेट्रो कन्टरी लिवर हरियाणा मार्का व एक चाकू नाजायज बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 23-02-2021 को दौराने चैकिंग भाटिया पुल के नीचे दौलतपुरा से एक अभियुक्त राहुल उर्फ रामा को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 30 पब्बे अवैध शराब मेट्रो कन्टरी लिवर हरियाणा मार्का व एक चाकू नाजायज बरामद हुआ।



#### अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि शराब बेचकर अपना खर्चा चलाता है। तथा अपने साथ चाकू भी रखता है।

#### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- राहुल उर्फ रामा पुत्र हेमचन्द निवासी मदौलतपुरा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र 211 0नं0 वर्ष 25 करीब (एचएस न0- 165 थाना कोतवाली नगर )

#### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त-**

1. मु0अ0सं0- 112/2021 धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर गा0बाद ।
2. मु0अ0सं0 113/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 372/2019 धारा 379 भादवि थाना मंसूरी गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 415/2019 धारा 354/147/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 422/2019 धारा 147/332/353/336/504 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 433/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 893/2019 धारा 411/482 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0 944/2019 धारा 392 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
9. मु0अ0सं0 90/2020 धारा 392 भादवि थाना सिहानी गेट गाजियाबाद
10. मु0अ0सं0 686/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

#### **बरामदगी का विवरण:-**

- 1- 30 पब्बे अवैध शराब मेट्रो कन्ट्री लिवर हरियाणा मार्का
- 2- एक चाकू नाजायज

**थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा दिनांक 23/2/21 को गाजियाबाद एनसीआर क्षेत्र मे अवैध शराब की तस्करी करने वाले 01 अभि0 को मय 3 बोतल देशी शराब व 31 पच्चे देशी शराब नाजायज सहित गिरफ्तार।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम नीरज कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नन्दग्राम द्वारा दिनांक 23/2/21 मे चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गाड वेतली बैंकट हाल के सामने खडे व्यक्ति को चैक किया गया तो अभि0 के कब्जे से 03 बोतल देशी शराब व 31 पच्चे देशी शराब नाजायज बरामद, अभि0 को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 08.30 बजे जायज हिरासत मे लिया गया।

#### **विवरण बरामदगी-**

03 बोतल व 31 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-**

रमेश पुत्र मुसाफिर नि0 चमन त्यागी का मकान नूर नगर सिहानी गोल्ड वैली के पीछे मुल पता- नूर मौहल्ला ग्राम इक्का , थाना इक्का जिला छपरा बिहार।

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

मु0अ0सं0 067 /21 धारा 60/63 आब0 अधि0थाना नन्दग्राम गा0बाद।

## **थाना खोडा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को अवैध नशीली गोलियां एलप्राजोलम के साथ गिरफ्तार**

!! श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र में अवैध नशीली गोलियों का कारोबार करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.02.2021 समय 23.40 बजे हर पटरी के किनारे राजीव नगर चौकी इलाका लोधी चौक से 01 नफर अभि0 को अवैध कुल 231 नशीली गोलियां एलप्राजोलम के सहित गिरफ्तार किया गया।

### **गिर0 अभियुक्त का नाम पता**

लक्की उर्फ छोटू उर्फ वेद प्रकाश पुत्र रवि कुमार गुप्ता निवासी गली न0 2 मास्टर की दुकान के पास सुभाष पार्क प्रथम खोडा कालोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

**बरामदगी** – अभियुक्त के कब्जे से अवैध कुल 231 नशीली गोलियां एलप्राजोलम बरामद होना।

### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

अभियुक्त लक्की उर्फ छोटू उर्फ वेद प्रकाश का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	087/2021	8/22 एनडीपीएस एक्ट	खोडा	गाजियाबाद



### **चैकिंग अभियान के दौरान 02 अभि0 को 42 पब्बे अवैध देशी शराब सहित किया गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा शराब तस्कर/ वांछित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान थाना

सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभिगण 1.दिलाराम पुर पुनाराम नि0- लिम्बिनी थाना बुटोक जिला रूपनदेही नेपाल हाल किरायेदार संदीप का मकान मछली मार्किट गाजियाबाद 2. राजन पुर कवीलाल - नि0- लिम्बिनी थाना बुटोक जिला रूपनदेही नेपाल हाल किरायेदार संदीप का मकान मछली मार्किट गाजियाबाद को हापुड रोड दीनागढी मन्दिर के पास से 42 पव्वे देशी शराब मिस रंगीली मार्का सहित दिनांक 23.02.2021 समय 09.45 बजे को गिरफ्तार किया गया ।

### पूछताछ का विवरण-

दिनांक 23.02.201 को चैकिंग अभियान के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर अभिगण 1.दिलाराम पुर पुनाराम नि0- लिम्बिनी थाना बुटोक जिला रूपनदेही नेपाल हाल किरायेदार संदीप का मकान मछली मार्किट गाजियाबाद 2. राजन पुर कवीलाल - नि0- लिम्बिनी थाना बुटोक जिला रूपनदेही नेपाल हाल किरायेदार संदीप का मकान मछली मार्किट गाजियाबाद को हापुड रोड दीनागढी मन्दिर के पास से 42 पव्वे देशी शराब मिस रंगीली मार्का को कार्टून मे रखकर बेचने के उद्देश्य से खडे थे अभिगण दीलाराम व राजन उपरोक्त को शराब सहित पकड लिया और अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम बाहर से शराब मंगाकर उचित दामो मे बेचकर अपना खर्च चलाते है ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.दिलाराम पुर पुनाराम नि0- लिम्बिनी थाना बुटोक जिला रूपनदेही नेपाल हाल किरायेदार संदीप का मकान मछली मार्किट गाजियाबाद 2. राजन पुर कवीलाल - नि0- लिम्बिनी थाना बुटोक जिला रूपनदेही नेपाल हाल किरायेदार संदीप का मकान मछली मार्किट गाजियाबाद

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0स0 231/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

### बरामदगी

42 पव्वे देशी शराब मिस रंगीली मार्का



## थाना लोनी पुलिस द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर मकान/प्लाट पर कब्जा करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही- दिनांक 20.02.2021 वादी श्री अकरम खान पुत्र जुम्मा खाँ नि0 D-4, D.D.A कालोनी न्यू जाफराबाद दिल्ली द्वारा थाना पर मुकदमा दर्ज कराया कि वादी के प्लाट के फर्जी दस्तावेज कर प्लाट पर कब्जा करने की नियत से गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना हाजा पर तत्काल मु0अ0सं0 201/2021

धारा 420/467/468/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना लोनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभि०गण 1. रशीद पुत्र शद्दीक निवासी गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शहांजहापुर हाल निवासी प्रदीप त्यागी का किराये का मकान गिरी मार्केट कमला देवी अस्पताल लोनी गा०बाद लोनी गाजियाबाद को दिनांक 23.02.2021 समय 12.32 बजे धन्नूराम कट से गिरफ्तार किया गया है। शेष के सम्बन्ध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। भविष्य में भी यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। तो उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 21.2.2021 को अभियुक्त 1. हरिओम गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्तानि० घूर खेडा थाना पुवायां शाहजहाँपुर हाल पता मौ० पश्चिमी लखपेडा पीडीभारतीइन्टर कालेज के पास मोहम्मदी थाना मोहम्मदी जि० लखीमपुर खीरी 2.शाहिद पुत्र हाजी हसन नि० E4 जोहरी फार्म जामिया नगर ओखला नई दिल्ली 3. मोहम्मद अमान पुत्र शब्बीर अली नि० 2326/20 शंकर गार्डनआमिर मैडिकलस्टोर के पास अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद 4. इरफान अंसारी पुत्र मुलाजिम नि० दिल्ली वाली मस्जिद के पीछे युनुस के मकान के वराबर में मौहल्लामहक सिटी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

## नाम पता गिरफ्तार -

1. रशीद पुत्र शद्दीक निवासी गुनारा थाना जलालाबाद जनपद शहांजहापुर हाल निवासी प्रदीप त्यागी का किराये का मकान गिरी मार्केट कमला देवी अस्पताल लोनी गा०बाद

## अभि० गण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

मु०अ०सं०- 201/2021 धारा 420/467/468/504/506 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद



## थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 2 किलो 450 ग्राम गांजा नाजायज बरामद

**कार्यवाही-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 22.02.21 को समय 22.30 बजे कमला नेहरू नगर जाने वाला रास्ता तिराहा थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त 1.अमित यादव पुत्र मदन सिंह यादव निवासी ग्राम हरसांव थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष व 2. विकास पुत्र विजेन्द्र नाथ पाण्डेय हाल निवासी अभियुक्त अमित के मकान में नौकर मूल निवासी ग्राम देवरिया

थाना रिवीलगंज थाना छपरा सारण उम्र 26 को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 2 किलो 450 ग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ, अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमश मु0अ0सं0-260/2021 बनाम अमित उपरोक्त व मु0अ0सं0 261/21 बनाम विकास उपरोक्त धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।

**अपराध कारित करने का तरीका** - अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करते है ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -**

- 1.अमित यादव पुत्र मदन सिंह यादव निवासी ग्राम हरसांव थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद-
- 2.विकास पुत्र विजेन्द्र नाथ पाण्डेय हाल निवासी अभियुक्त अमित के मकान मे नौकर मूल निवासी ग्राम देवरिया थाना रिवीलगंज थाना छपरा सारण

**बरामदगी का विवरण -**

2 किलो 450 ग्राम गांजा नाजायज

**अभियुक्त अमित यादव का आपराधित इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 260/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 -926/2015 धारा 324 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- 3-मु0अ0सं0 -1017/2020 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 4- मु0अ0सं0 -2462/2018 धारा 323/354क/504/506 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

**अभियुक्त विकास का आपराधिक इतिहास-**

- 1-मु0अ0सं0 261/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद ।



**थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध चाकू एक शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे चैकिंग स्कीम ABC के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 23.02.21 को चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध चाकू सहित एक अपराधी प्रवृत्ति व्यक्ति को आश्रय स्थल सैक्टर -2 आरडीसी के पास से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त हरमीत पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी 29/04 लाल क्वार्टर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

**अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अपराध करने के उद्देश्य से अवैध चाकू से रखता है ।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –**

हरमीत पुत्र जोगेन्द्र सिंह निवासी 29/04 लाल क्वार्टर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त योगेश ठाकुर-**

1- मु0अ0सं0 262/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।